

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

23.07.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 538 का उत्तर

भागलपुर में रेल परियोजनाओं की स्थिति

538. श्री अजय कुमार मंडल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) भागलपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्तमान में क्रियान्वित या प्रस्तावित प्रमुख रेल परियोजनाओं (जैसे स्टेशन पुनर्विकास, नई रेल लाइन, रेल लाइन दोहरीकरण, पुल, वंदे भारत ट्रेन सुविधा) का ब्यौरा क्या है;
- (ख) प्रत्येक परियोजना की वित्तीय स्वीकृति, स्वीकृत राशि, वर्तमान स्थिति (जैसे तैयार किए गए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, अधिग्रहित भूमि, निर्माणाधीन या पूर्ण) और संभावित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;
- (ग) अमृत भारत योजना के अंतर्गत नवगछिया, शिवनारायणपुर, सबौर, पीरपेंती और कहलगाँव स्टेशनों की अद्यतन स्थिति और उन पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या भागलपुर में एक नए टर्मिनल स्टेशन के निर्माण का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो उसकी लागत, स्थान (जैसे जगदीशपुर) और निर्माण की वर्तमान स्थिति सहित ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या परियोजनाओं की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए रेलवे बोर्ड/डीआरएम स्तर पर कोई विशेष समिति, रिपोर्ट या समीक्षा प्रणाली बनाई गई है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): रेल मंत्रालय ने स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। अब तक, 1337 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित करने के लिए चिह्नित किया

गया है। वर्तमान में, 105 स्टेशनों का चरण-I का कार्य पूरा हो गया है और उन्हें कमीशन कर दिया गया है और 1110 स्टेशनों का कार्य शुरू कर दिया गया है।

इसके अलावा, भागलपुर, नवगछिया, शिवनारायणपुर, सबौर, पीरपेंती और कहलगाँव रेलवे स्टेशनों सहित बिहार राज्य में स्थित 98 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित करने के लिए चिह्नित किया गया है।

इनमें से कुछ स्टेशनों की प्रगति निम्नानुसार हैं:

पीरपेंती में, चरण-I का कार्य अर्थात् स्टेशन भवन एलिवेशन, पोर्टिको, कॉनकोर्स क्षेत्र, परिचलन क्षेत्र में सुधार, प्रतीक्षालय में सुधार, पे एंड यूस टॉइलेट का निर्माण, पहचानसूचक और दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं का कार्य पूरा हो गया है। पैदल पार पुल के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है।

नवगछिया में, प्लेटफॉर्म शेल्टर की नीव का कार्य, परिचलन क्षेत्र में मिट्टी का कार्य पूरा हो गया है और नए स्टेशन भवन का कार्य, प्लेटफॉर्म शेल्टर का निर्माण और नए पैदल पार पुल के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

शिवनारायणपुर में, स्टेशन एलिवेशन, कॉनकोर्स क्षेत्र के कार्य, प्रतीक्षालय में सुधार, कोच और गाड़ी संसूचक बोर्ड, दृश्य प्रदर्श बोर्ड, पहचानसूचकों के प्रावधान का कार्य पूरा हो गया है और परिचलन क्षेत्र, पे एंड यूस टॉइलेट के कार्य, नए पैदल पार पुल के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है।

सबौर में, ओएफसी भवन का कार्य, प्रतीक्षालयों में सुधार कार्य को पूरा कर दिया गया है और पोर्टिको, परिचलन क्षेत्र, कॉनकोर्स क्षेत्र सहित स्टेशन भवन के एलिवेशन के कार्य, दूसरी श्रेणी के प्रतीक्षालय में सुधार, कोच एवं गाड़ी संसूचक बोर्ड, दृश्य प्रदर्श बोर्ड, पहचानसूचकों का प्रावधान, नए पैदल पार पुल के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है।

कहलगाँव में, प्रतीक्षालय के सुधार, नए पे एंड यूस टॉइलेट का निर्माण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं से संबंधित कार्य और पहचानसूचकों का प्रावधान पूरा हो गया है और पोर्टिको, परिचलन क्षेत्र, कॉनकोर्स

क्षेत्र सहित स्टेशन भवन के एलिवेशन का सुधार कार्य, दृश्य प्रदर्श बोर्ड लगाने और नए पैदल पार पुल के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आगलपुर रेलवे स्टेशन के विकास के लिए मास्टर योजना तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। यह एक पुनरावर्तीय प्रक्रिया है जिसके लिए इष्टतमीकरण की आवश्यकता होती है और ऐसे इष्टतमीकरण के लिए इस चरण पर समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

अमृत भारत स्टेशन योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत् आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की संकल्पना की गई है। इस योजना में ऐसे प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशनों पर स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनसुर लिफ्ट/एस्केलेटर, प्लेटफॉर्म सरफेसिंग और प्लेटफॉर्म पर कवर, स्वच्छता, निःशुल्क, वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एकजीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन करना शामिल है।

इस योजना में आवश्यकतानुसार, चरणबद्ध रूप से एवं यथाव्यवहार्य स्टेशन भवन का सुधार, स्टेशन का शहर के दोनों ओरों के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टीरहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टर के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

भारतीय रेल में स्टेशनों का विकास/उन्नयन एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है और इससे संबंधित कार्यों को आवश्यकतानुसार, परस्पर प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन शुरू किया जाता है। कार्यों को स्वीकृत और निष्पादित करते समय स्टेशनों के विकास/उन्नयन के लिए निम्न कोटि के स्टेशन की तुलना में उच्च कोटि के स्टेशन को प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों का विकास/उन्नयन आमतौर पर योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत आवंटन का ब्यौरा क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार या स्टेशन-वार या राज्य-वार। भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पूर्व मध्य रेलवे और पूर्व रेलवे के क्षेत्राधिकार में पड़ता है जिसके लिए योजना शीर्ष-53 के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 942 करोड़ रुपए (बजट अनुमान) का आवंटन किया गया है।

इसके अलावा, रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करना (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं), अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट सान्निध्य में किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं। अतः इस समय कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

बिहार राज्य की रेल अवसंरचनात्मक परियोजनाएं भारतीय रेल के पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, पूर्व रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे जौन के अंतर्गत आती हैं। रेल परियोजनाओं के क्षेत्रीय रेलवे-वार विवरण भारतीय रेल की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करवाए गए हैं।

भारतीय रेल में सम्पारों के स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क पुल के निर्माण कार्यों की स्वीकृति और निष्पादन एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है। इन कार्यों को गाड़ी परिचालन में संरक्षा और गतिशीलता पर इसके प्रभाव और सड़क उपयोगकर्ताओं पर इसके प्रभाव के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है और शुरू किया जाता है।

भारतीय रेल में वर्ष 2004-14 की तुलना में वर्ष 2014-26 (जून 2025) की अवधि के दौरान निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुलों की संख्या निम्नानुसार हैं:

अवधि	निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुल
2004-14	4148
2014-26 (जून, 2025 तक)	13426 (इसमें बिहार राज्य के 558 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुल भी शामिल हैं)

दिनांक 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल में 1,00,860 करोड़ रुपए की लागत पर 4,402 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुलों को स्वीकृत किया गया है, जिसमें बिहार राज्य में 6014 करोड़ रुपए की लागत पर 218 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुल शामिल हैं, जो योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों पर हैं। इन में से, भागलपुर निर्वाचन क्षेत्र में 05 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुलों को स्वीकृत किया गया है, जो निम्नानुसार हैं:

स्वीकृत निचले/ऊपरी सड़क पुल				
क्र.सं.	स्थान	आरओबी/आरयूबी/ एफओबी	लागत (करोड़ रुपए में)	टिप्पणी
1.	भागलपुर-जमालपुर खंड पर समपार सं. 1/ए	ऊपरी सड़क पुल	90	ऊपरी सड़क पुल का कार्य स्वीकृत कर दिया गया है।
2.	भागलपुर-पीरपेंती खंड पर समपार सं. 6	ऊपरी सड़क पुल	82	सामान्य व्यवस्था आरेख तैयार करने और विस्तृत अनुमान का कार्य शुरू कर दिया गया है।
3.	भागलपुर-जमालपुर खंड पर समपार सं. 9	ऊपरी सड़क पुल	81	
4.	भागलपुर-बरौनी खंड पर समपार सं. 11/स्पेशल	ऊपरी सड़क पुल	42	ऊपरी सड़क पुल का कार्य स्वीकृत कर दिया गया है। रेलवे के भाग का कार्य पूरा हो गया है और पहुँच मार्ग का भाग शुरू कर दिया गया है।
5.	साहिबगंज-भागलपुर खंड पर समपार सं. 5	एलएचएस	6	ऊपरी सड़क पुल का कार्य स्वीकृत कर दिया गया है। सामान्य व्यवस्था आरेख को

				अनुमोदित कर दिया गया है। कार्य शुरू कर दिया गया है।
--	--	--	--	--

ऊपरी/निचले सड़क पुल संबंधी कार्यों का पूरा होना और चालू करना सम्पारों को बंद करने की सहमति प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा सहयोग, पहुँच संरेखण को अंतिम रूप देने, सामान्य आरेख व्यवस्था का अनुमोदन, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाना, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, परियोजना/कार्य स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना विशेष/कार्य स्थलों के लिए वर्ष में कार्य महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजनाओं/कार्यों के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं।

01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, बिहार में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 86,107 करोड़ रुपए की लागत वाली, कुल 4,663 कि.मी. की लंबाई वाली 52 परियोजनाओं (31 नई लाइनें, 01 आमान परिवर्तन और 20 दोहरीकरण) को स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 1,014 किमी लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2025 तक 29,353 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है, इसमें भागलपुर में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली परियोजनाएं भी शामिल हैं। वर्तमान में भागलपुर के आस-पास (i) गंगा नदी पर पुल सहित विक्रमशीला-कटारिया नई लाईन (26 कि.मी.), (ii) सुलतानगंज-कटुरिया नई लाईन (77 कि.मी.) और (iii) पीरपेंटी-जसीडीह नई लाईन (97 कि.मी.) नामक कुछ रेल परियोजनाओं को उस क्षेत्र में रेल संपर्कता में अधिक सुधार के लिए शुरू किया गया है।

वर्तमान में, 02 वंदे भारत सेवाओं सहित 104 गाड़ी सेवाएं भागलपुर के यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं। इन सेवाओं में 22309/22310 हावड़ा-भागलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा भी शामिल है, जिसे दिनांक 15.09.2024 को शुरू किया गया था। इसके अलावा, भारतीय रेल में यातायात औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता आदि के अध्यधीन वंदे भारत एक्सप्रेस सहित अन्य गाड़ी सेवाएं शुरू करना एक निरंतर प्रक्रिया है।

पूर्व रेलवे द्वारा 'कोचिंग सुविधायुक्त नए भागलपुर स्टेशन' की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और इस परियोजना की लागत 310.45 करोड़ रुपए है।

रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन राज्य-वार/जिला-वार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है क्योंकि भारतीय रेल की परियोजनाएं राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमानों, अंतिम छोर संपर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों के संवर्धन, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकता, सामाजिक-आर्थिक महत्वों, आदि के आधार पर शुरू किया जाता है, जो चालू परियोजनाओं के थ्रोफॉर्वर्ड और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

किसी रेल परियोजना/ओं का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वानिकी स्वीकृतियां, लागत में साझेदारी वाली परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा अपना अंशदान जमा करना, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना/ओं स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजनाओं के पूरा होने के समय को प्रभावित करती हैं। उक्त अवरोधों के साथ, इन परियोजनाओं को अतिशीघ्र पूरा करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

परियोजना की निगरानी विभिन्न स्तरों पर की जाती है, जिसमें भारतीय रेल परियोजना स्वीकृति और प्रबंधन (आईआरपीएसएम) नामक भारतीय रेल का समर्पित पोर्टल भी शामिल है। निष्पादन इकाइयों द्वारा जिन समस्याओं का समना किया जा रहा है, उनका तदनुसार समाधान भी किया जाता है।
